



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 233 राँची, बुधवार,

21 मई, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 मई, 2025

संख्या-16/नि०-02/2024-1926--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा 46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पुलिस हस्तक 1978 में संशोधन करते हुए झारखण्ड पुलिस में ट्रेड संवर्ग गठित किये जाने के निमित्त झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (क) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025" के रूप में जाना जायेगा ।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (ग) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. परिभाषाएँ :-

- (क) 'राज्य' से अभिप्राय है:-झारखण्ड राज्य ।
- (ख) 'सरकार' से अभिप्रेत है:- झारखण्ड सरकार ।
- (ग) 'विभाग' से अभिप्रेत है:- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची ।
- (घ) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है:- अलग इकाई के रूप स्वीकृत सेवा का एक अंग ।

- (ड) 'बोर्ड/पर्षद' से अभिप्रेत है- शारीरिक दक्षता / व्यवहारिक परीक्षा हेतु गठित बोर्ड / पर्षद ।
- (च) 'आयोग' से अभिप्रेत है:- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।
- (छ) 'रिक्तियाँ' से अभिप्रेत है:- प्रत्येक पंचाग (कैलेण्डर) वर्ष के 01 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्ति ।
- (ज) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है:-संबंधित ट्रेड के कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला/इकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं वाहिनी के समादेष्टा होंगे।
- (झ) 'मेधा सूची' से अभिप्रेत है. ऐसे सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची, जिसे सीधी नियुक्ति के मामले में आयोग तथा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के मामले में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा मेधा क्रम में तैयार किया गया हो।
- (ञ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है:- भारत का संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति।
- (ट) 'खिलाड़ी का अभिप्रायः राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेलकूद में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके खेल को सीधी नियुक्ति में कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मान्यता दी गयी हो।

3. सेवा/संवर्ग की संरचना / वेतनमान / वित्तीय लाभ:-

(क) इस सेवा संवर्ग में विभिन्न जिलों/इकाई/वाहिनी के अधीन निम्नांकित पद शामिल होंगे।

पदनाम	वेतनमान	समूह	स्रोत	अधिकृत बल
चतुर्थवर्गीय ट्रेड	अपुनरीक्षित वेतनमान (PB-01, 5200-20200/-ग्रेड वेतन-1800)/पुनरीक्षित वेतनमान L-1	घ	Dying Post	3665
पुलिस ट्रेड	अपुनरीक्षित वेतनमान (PB-01, 5200-20200/-ग्रेड वेतन-2000) /पुनरीक्षित वेतनमान L-3	ग	50% सीधी नियुक्ति एवं 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से	3665
हवलदार ट्रेड	अपुनरीक्षित वेतनमान (PB-01, 5200-20200/-ग्रेड वेतन-2400) /पुनरीक्षित वेतनमान L-4	ग	संवर्गीय प्रोन्नति का पद	916

- (ख) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत चतुर्थवर्गीय श्रेणी के कर्मी स्वतः इस सेवा/संवर्ग में सम्मिलित समझें जाएंगे तथा चतुर्थवर्गीय ट्रेड कहलायेंगे। विभिन्न ट्रेडों से संबंधित सूची अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

- (ग) इस नियमावली के प्रभावी होने के उपरांत चतुर्थवर्गीय ट्रेड में भविष्य में कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। भविष्य में जैसे-जैसे चतुर्थवर्गीय ट्रेड के पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा / सेवानिवृत्ति आदि कारणों से रिक्त होते जायेंगे, वैसे-वैसे इनके पद स्वतः समाप्त होते जायेंगे।
- (घ) नियमावली के प्रभावी होने के उपरांत इस संवर्ग अंतर्गत पुलिस ट्रेड के 50% पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जायेगी तथा शेष 50% पदों पर न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जायेंगे, जिसका आयोजन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। यह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जायेगी तथा इस प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के पद पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते हैं।
- (ङ) इस संवर्ग अंतर्गत हवलदार ट्रेड के पद पूर्णतः प्रोन्नति के पद होंगे जो पुलिस ट्रेड कर्मियों के वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से भरे जायेंगे।
- (च) इस संवर्ग अंतर्गत पुलिस ट्रेड एवं हवलदार ट्रेड हेतु वर्तमान में कोई पद सृजित नहीं है इसलिए वर्तमान में चतुर्थवर्गीय ट्रेड हेतु कुल स्वीकृत पदों की संख्या के बराबर पुलिस ट्रेड के पदों को रखा गया है तथा हवलदार ट्रेड के पदों को 4:1 के अनुसार ट्रेड पुलिस के कुल पदों का 25 प्रतिशत रखा गया है।
- (छ) पुलिस ट्रेड एवं हवलदार ट्रेड के उपर्युक्त पदों को जिला/ईकाई/वाहिनी के पुलिस एवं हवलदार के स्वीकृत पदों से सुरक्षित रखे जायेंगे, जिसे नियमावली के अधिसूचित होने के उपरांत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कर्णांकित किया जायेगा।
- (ज) पुलिस ट्रेड एवं हवलदार ट्रेड के ट्रेड अनुसार पदों को विभिन्न जिला/ईकाई/बाहिनी में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चिन्हित किया जायेगा।

4. सीधी भर्ती का स्रोत :-

इस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस ट्रेड के 50% पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा की जा सकेगी।

नोट:- भविष्य में चतुर्थवर्गीय ट्रेड के पद पूर्णतः समाप्त हो जाने के उपरांत पुलिस ट्रेड के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।

5. सेवा का दायित्व :-

सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य, झारखण्ड सरकार / पुलिस के प्रतिष्ठान अथवा जैसा की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / अधिसूचित किया जाय।

6. रिक्तियों का आरक्षण :-

(क) सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले रिक्तियों का 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित रहेगा।

(ख) विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अद्यतन राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर नियम व प्रावधान लागू होंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/आदेश/अधिनियम व प्रावधान के तहत खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

7. राष्ट्रीयता एवं अधिवासः -

सेवा/संवर्ग में निम्नांकित अनुरूप व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जो :-

(क) भारत संघ का नागरिक हो।

(ख) सच्चरित हो।

8. उम्र सीमा सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए उम्र सीमा निम्न रूप से निर्धारित रहेगा:-

कोटि	न्यूनतम	अधिकतम
सामान्य (पुरुष)	18 वर्ष	25 वर्ष
पुरुष पिछड़ा वर्ग (अनु०-II) / अ०पिछड़ा वर्ग (अनु०-1)	18 वर्ष	27 वर्ष
महिला सामान्य / पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)/अ०पिछड़ा वर्ग (अनु०-१)	18 वर्ष	28 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	18 वर्ष	30 वर्ष
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	18 वर्ष	25 वर्ष

उम्र की गणना अध्याचना वर्ष के अगस्त माह की पहली तारीख के आधार पर की जाएगी।

9. न्यूनतमशैक्षणिक योग्यता :-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं स्तर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ख) नियम- 09 (क) में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त निम्नांकित पदों हेतु निम्न अनुभव एवं अन्य योग्यता होना भी अनिवार्य है:-

क्र०	पद का नाम	अनुभव / अन्य योग्यता
1	पुलिस मोटर मैकेनिक	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।
2	पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।
3	पुलिस पलम्बर	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।
4	पुलिस पेंटर	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।
5	पुलिस बर्दई	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।
6	पुलिस बिजली मिस्त्री	1. 03 वर्षों का कार्य अनुभव। 2. राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में आई०टी०आई० उत्तीर्ण।

10. शारीरिक मापदण्ड :-

शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं कठिन कार्य करने की क्षमता के साथ निम्नांकित न्यूनतम शारीरिक मापदंड का होना अनिवार्य है।

कोटि	ऊँचाई	सीना
सामान्य / पिछड़ा/अ०पि० वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	160 से०मी०	81 से०मी०
अनु०जाति/जनजाति	155 से०मी०	79 से०मी०
महिला (सभी कोटि)	148 से०मी०	-----

नोट:- शारीरिक रूप से अशक्त तथा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-

(क) रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना:- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे। उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेज देंगे। अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन द्वारा या अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(ख) आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा एवं प्रकाशन:- सेवा / संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एवं पदों का आयोग यथोचित रीति से, जैसा कि वे उपयुक्त समझें, विज्ञापित करेगा और सेवा/ संवर्ग में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। विज्ञापन का प्रकाशन, आवेदन पत्रों की जाँच, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन का प्रपत्र, प्रश्न पत्र का चयन, परीक्षा का स्वरूप एवं प्रक्रिया तथा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच, आवेदन पत्र प्राप्त एवं सम्प्रति करने की रिति का निर्धारण, परीक्षाफल का प्रकाशन इत्यादिव्यवस्था झारखण्ड राज्य यूनिफॉर्म सेवा नियुक्ति पर्षद् के गठित होने तक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(ग) परीक्षा शुल्क:-

(i) अभ्यर्थियों को जैसा कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विहित करे, निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करना होगा। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में अनुमान्य छूट प्राप्त होगा।

(ii) शुल्क भुगतान के तरीके का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विहित किया जाएगा।

12. नियुक्ति प्रक्रिया का आयोजन:-

नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ट्रेड पुलिस के कुल 17 प्रकार के ट्रेड पदों पर ही सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के नियंत्रण में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा गठित पुलिस पर्षद/पर्षदों के माध्यम से, लिखित परीक्षा का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन पुलिस पर्षद/पर्षदों के माध्यम से एवं चिकित्सीय परीक्षा का आयोजन असैनिक शल्य-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। लिखित परीक्षा हिन्दी विषय की होगी जिसका स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में विहित प्रावधान के अनुरूप होगा, तैयार मेधा सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जिला एवं वाहिनी में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं समादेष्टा के स्तर से नियुक्ति की कार्यवाई पूर्ण करायेंगे।

13. नियुक्ति प्रक्रिया के चरण: नियुक्ति प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होंगे।

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा

(ख) लिखित परीक्षा

(ग) व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा

(घ) चिकित्सीय जाँच परीक्षा

(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदंड:-

पुरुषों के लिए:- 07 मिनट में 01 मील (1600 मीटर) की दौड़।

महिलाओं के लिए:- 10 मिनट में 01 मील (1600 मीटर) की दौड़।

(ii) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से शारीरिक मापदण्ड की जाँच की जाएगी। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा:- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। लिखित परीक्षा हिन्दी विषय की होगी, जिसका कुल अंक एवं पाठ्यक्रम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक /10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में हिन्दी विषय के लिए प्रावधानित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा क्वालिफाईंग प्रकृति की होगी, जिसमें सफल होने के लिए कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक को मेधा सूची गठन में जोड़ा नहीं जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जायेगा।

(i) लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक /10वीं स्तर) संचालन नियमावली. 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) में विहित प्रावधान के अनुसार होगा।

(ii) लिखित परीक्षा में उर्तीणअभ्यर्थी ही व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित हो पायेंगे।

(ग) **व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा:** शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। संबंधित पदों के लिए अभ्यर्थियों को पद से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा में भी सम्मिलित होना होगा। संबंधित व्यवहारिक ज्ञान की व्यवहारिक (practical) जाँच एक सौ (100) अंको की होगी, जिसमें उत्तीर्णांक चालीस (40) अंक होगा। व्यवहारिक ज्ञान में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची (Merit List) तैयार किया जाएगा। मेधा सूची का प्रकाशन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया जायेगा।

व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा विभिन्न ट्रेड के लिये अलग-अलग ली जायेगी। यह परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के दिशा-निर्देश में गठित विभिन्न बोर्ड / पर्षदों द्वारा ली जायेगी। ट्रेड के अनुसार व्यवहारिक ज्ञान में निम्नांकित Skills की जाँच की जायेगी

(i) पुलिस - रसोईया (Constable Cook):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
स्वादिष्ट भोजन बनाना	100 लोगो के लिये चपाती, चावल, सब्जी, दाल, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का परीक्षा	1. 100 लोगो के लिये भोजन बनाने की क्षमता। 2. पेय पदार्थों को बनाना। 3. भोजन बनाने का समय। 4. भोजन का स्वाद। 5. भोजन को healthy एवं hygienic तरीके से बनाना। 6. Recipes का ज्ञान, इत्यादि	60
प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका	प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका	1. सब्जी, सलाद इत्यादि को काटने एवं परोसने का तरीका। 2. पेय पदार्थों को परोसने का तरीका, इत्यादि	20
विविध तरह का भोजन बनाना	विविध तरह का भोजन बनाना, यथा भारतीय, चाईनीज, Continental, South Indian, इत्यादि	1. परीक्षा के समय विविध तरह के भोजन में से कोई एक बनाने का व्यवहारिक परीक्षा	20

(ii) पुलिस-जलवाहक (Constable Water Carrier):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
भोजन बनाने की तैयारी/ ज्ञान	100 लोगो के लिये चपाती, चावल, सब्जी, दाल, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने में Ingredients का तैयारी करने की परीक्षा	1. आटा गूंथना, सब्जी काटने, मसाला पिसने, खाने की सामग्री मसाले इत्यादि की तैयारी का व्यवहारिक ज्ञान 2. भोजन बनाने के बर्तनों / भोजनालय का Hygienic रखना 3. विभिन्न तरह के भोजन को तैयार करने की विधि। 4. खाने में डलने वाले विभिन्न Ingredients का ज्ञान, इत्यादि प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका	60
प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका	प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका	1. सब्जी, सलाद इत्यादी को काटने एवं परोसने का तरीका। 2. पेय पदार्थों को परोसने का तरीका, इत्यादि	20
शारीरिक क्षमता	भरी हुई पानी, सब्जी की बाल्टी / बर्तन को उठाना एवं उसमें से खाना परोसना	शारीरिक क्षमता	20

(iii) पुलिस-झाड़ूकश (Constable Sweeper):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. फर्श की सफाई का तरीका/समय 2. Open Areas की सफाई का तरीका/समय 3. Bathroom एवं शौचालय की सफाई का तरीका/समय । 4. Vacuum Cleaner के इस्तेमाल की जानकारी	100

(iv) पुलिस-धोबी (Constable Washerman):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
कपड़ा धोना	कपड़ा धोना	1. कपड़ा धोने का तरीका एवं स्तर/समय 2. विभिन्न तरह के कपड़ों को धोने की विधि की जानकारी 3. Woolen Uniform धोने की जानकारी	50
कपड़ों को Iron करना	कपड़ों को Iron करना	1. कपड़ों को Ironing/steaming/spraying/Folding को सजाने का ज्ञान होना 2. Working Uniform Iron कर तैयार करने का समय	50

(v) पुलिस-नाई (पुरुष) / Hair Dresser (महिला)

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
बाल काटना / दाढ़ी बनाना (पुरुष अभ्यर्थी के लिये)	1. बाल काटना 2. दाढ़ी बनाना 3. उपयोग में आने वाले सामग्रियों की जानकारी एवं रख-रखाव	1. बाल काटने का तरीका। 2. बाल काटने का समय। 3. बाल बनाने के उपकरणों की Handling का तरीका। 4. दाढ़ी बनाने में दक्षता / समय	100
बाल काटना/सेट करना (महिला अभ्यर्थी के लिये)	1. महिलाओं के बाल काटना 2. महिलाओं के बाल सेट करना (Hair dressing)	1. महिलाओं के बाल काटने का तरीका/समय 2. महिलाओं के बाल सेट (Hair dressing) करने का तरीका/समय	100

(vi) पुलिस-माली (Constable Gardener):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक ज्ञान	व्यवहारिक ज्ञान	1. Season के अनुसार लगने वाले पौधों की जानकारी। 2. विभिन्न तरह की बीजों की जानकारी। 3. बागवानी में उपयोग में आने वाले औजार संबंधी जानकारी 4. पौधों की cutting/shredding करने की अच्छी जानकारी होना 5. उर्वरक, किटनाशक की जानकारी एवं इस्तेमाल का तरीका। 6. Organic Farming के तरीकों की व्यवहारिक जानकारी 7. फलदार पौधों/पेड़ों को लगाने / रख-रखाव की जानकारी। 8. घास लगाना/Fence लगाने की जानकारी 9. Gardening में उपयोग होने वाले Tools की Handling/ जानकारी	100

(vii) पुलिस-दफ्तरी (Constable Daftari):

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
बाईंडिंग	बाईंडिंग करने का तरीका एवं स्तर	1. बाईंडिंग Process की जानकारी। 2. बाईंडिंग करने की विधि। 3. बाईंडिंग करने का समय। 4. बाईंडिंग कार्य की सफाई। 5. पुराना दस्तावेजों / संचिकाओं का मरम्मत करना, इत्यादि	60
नई विधियों की जानकारी	1. Spiral Binding (मशीन से एवं हाथ से करना) 2. Flag लगाकर फोल्डर तैयार करना।	1. बाईंडिंग की नई विधियों की जानकारी एवं कार्य कुशलता, इत्यादि ।	40

(viii) पुलिस-मोची (Constable Cobbler)

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. जूता पॉलिश करने का तरीका / समय 2. जूता / चप्पल सिलाई एवं बनाने का तरीका व्यवहारिक परीक्षा 3. Leather की कटिंग का तरीका 4. नया जूता बनाने का तरीका/समय 5. विभिन्न तरह के जूतों यथा Leather/Sports Shoes के रख-रखाव की जानकारी। 6. विभिन्न उपकरणों / सामग्रियों की जानकारी	100

(ix) पुलिस-सफाईकर्मी (Constable Cleaner) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. साफ सफाई का पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान । 2. कार्यालय में वस्तुओं साफ-सफाई एवं रख-रखाव ज्ञान, floors की सफाई, खुले क्षेत्र की सफाई, toilets/bathrooms की सफाई का ज्ञान। 3. सफाई से संबंधित सभी वस्तुओं के प्रयोग का ज्ञान ।	100

(x) पुलिस-दर्जी (Constable Tailor) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. सिलाई के लिए मापी लेने का ज्ञान। 2. कपड़ों की कटिंग/सिलाई, वर्दी के कटिंग /गर्म कपड़ों की वर्दी की कटिंग / सिलाई का ज्ञान। 3. सिलाई सीधा एवं रिपेरिंग का ज्ञान।	100

(xi) पुलिस-अर्दली (Constable Oderly) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. पदाधिकारी के आदेश को समझने का ज्ञान । 2. आदेश सुनने तथा समझाने की क्षमता तथा इसे समय पर पूरा करने का ज्ञान।	100

(xii) पुलिस-गोटर मैकेनिक (Constable Motor Mechanic):

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. गाड़ी के प्रकार का समझ, इंजन के प्रकार की समझ । 2. गाड़ियों का रख रखाव/मैटेनेंस का ज्ञान। 3. गाड़ियों के सामान्य समस्याओं की पहचान एवं ठीक करने का ज्ञान। 4. मोटर पार्ट्स के नाम का एवं उसे बदलने का ज्ञान ।	100

(xiii) पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर (Constable Motor Mechanic Helper) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. गाड़ियों का रख रखाव / मैटेनेंस का ज्ञान। 2. मोटर मैकेनिक के कार्यों में सहायता प्रदान करने का ज्ञान। 3. मोटर पार्ट्स के नाम का एवं उसे बदलने का ज्ञान । 4. टूल्स की जानकारी एवं प्रयोग का ज्ञान।	100

(xiv) पुलिस-पलम्बर (Constable Plumber):-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. पलम्बरिंग कार्य का ज्ञान। 2. नल तथा बोरिंग से संबंधित रिपेरिंग का ज्ञान पलम्बर से संबंधित सभी पार्ट्स के नामों का ज्ञान 3. सभी तरह के पाईप (GI/PVC) के इस्तेमाल, उसे लगाने, पाईप को जोड़ने इत्यादि का ज्ञान।	100

(xv) पुलिस-पेंटर (Constable Painter) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. रंगों का ज्ञान, पेंट करने का ज्ञान, साईन बोर्ड पेंटिंग का ज्ञान। 2. स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, अलग-अलग पेंटों के मिश्रण से कलर बनाने का ज्ञान। 3. पेंट/कलर से साफ-साफ लिखने का ज्ञान।	100

(xvi) पुलिस-बढ़ई (Constable Carpenter) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. औजारों के उपयोग का ज्ञान, लकड़ी को काटने, फिटिंग, पॉलिसिंग एवं फिनिशिंग का ज्ञान। 2. चौकी, कुसी, टेबुल, दरवाजा, खिडकी एवं लकड़ी के अन्य वस्तुएँ बनाने तथा रिपेयरिंग का ज्ञान।	100

(xvii) पुलिस-बिजली मिस्त्री (Constable Electrician) :-

परीक्षा विषय	व्यवहारिक परीक्षा	Skills to be tested	प्राप्तांक
व्यवहारिक परीक्षा	व्यवहारिक परीक्षा	1. बिजली के कार्य का ज्ञान, वायरिंग, हीटर, एंसी० रिपेयरिंग का ज्ञान। 2. एम०सी०बी० लगाने, स्वीच बोर्ड, प्लग इत्यादि लगाने का ज्ञान।	100

(घ) चिकित्सीय जाँच परीक्षा:-

(i) शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक ज्ञान में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा गठित बोर्ड के माध्यम से की जायेगी, जिसमें समान्यतः एक महिला चिकित्सक भी होगी।

(ii) चिकित्सीय परीक्षण के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सीय दोषों का परीक्षण किया जाएगा:-

'मुड़ा घुटना, धनुपैर समतल पैर स्पीतशिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, क्लर ब्लाईडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाईट Vericocel/ Hydrocele /piles/any communicable physical/ Mental Disease आदि ।

चिकित्सीय परीक्षण में उपर्युक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

नोट:- उक्त के अलावे शारीरिक मापदण्ड अन्तर्गत अभ्यर्थियों की उँचाई एवं सीना की माप भी चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जाएगा, जो अंतिम रूप से मान्य होगा।

(iii) उक्त चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध चिकित्सीय रूप से असफल / अयोग्य अभ्यर्थी के द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने पर निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अपीलीय चिकित्सा पर्षद (Apex Medical Board) अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची परीक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड राँची होगा। चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में Apex Medical Board का निर्णय अंतिम होगा।

14. सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं त्रुटिरहित सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता / लिखित /व्यवहारिक दक्षता एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पर्षद अपने स्तर से यथोचित व्यवस्था के तहत सुनिश्चित करेंगे।

15. मेधा सूची का गठन:-भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा व्यवहारिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर रिक्ति के अनुरूप आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची / परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा सूची में वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि, (जिनकी अधिक हो) तथा, जन्म तिथि भी समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी के उँचाई (जिनका अधिक हो) के अनुसार होगा।

16. परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा, नियुक्ति, परिवीक्षा एवं सेवा काल के किसी भी प्रक्रम पर जाँच करने पर यह पाया जाएगा की वे पात्रता के किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं अथवा इसकी सूचना गलत दी गई है या कोई सूचना छिपाई गई है तो उनकी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

17. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:-

(i) पुलिस ट्रेड के 50% पद चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जा सकेंगे।

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होनेवाले चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों को निम्न अहर्ताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-

(क) चतुर्थवर्गीय ट्रेड पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो।

(ख) अभ्यर्थी का स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(ग) अभ्यर्थी की सेवा संतोषजनक रही हो एवं उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित न हो।

(iii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप निम्नरूपेण होगा:-

क्र०	एकल प्रश्न पत्र परीक्षा का विषय	अवधि	अंक
1	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद का सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करना	2 घण्टे	20
2	संबंधित ट्रेड ज्ञान के प्रश्न		20
3.	संबंधित ट्रेड के practical ज्ञान की परीक्षा		10
	कुल अंक		50

(iv) उक्त परीक्षा में अनुसूचित जाति/जन जाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 20 अंक होगा तथा अन्य सभी कोटि के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 25 अंक होगा।

(v) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा यथोचित रीति, जैसा वे उपयुक्त समझे द्वारा गठित बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन, प्रश्न-पत्र को तैयार किया जाना, परीक्षा को समय पर पूर्ण करानेकी जिम्मेवारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की होगी।

(vi) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर रिक्ति के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची / परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। दो या अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा सूची में वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि (जिनकी अधिक हो) तथा जन्म तिथि भी समान होने की स्थिति में अभ्यर्थी के उँचाई (जिनका अधिक हो) के अनुसार होगा।

18. प्रोन्नति:-

(i) पुलिस ट्रेड से हवलदार ट्रेड के पदों पर प्रोन्नति निम्नलिखित आर्हताएँ पूर्ण करने पर दी जायेगी:-

क) प्रोन्नति से पूर्व Promotion Course/Test को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के पूर्व प्रमोशन कोर्स/टेस्ट वहीं होंगे, जो जिलों के सामान्य हवलदार के प्रोन्नति हेतु आरक्षी के लिए पूर्व से निर्धारित हैं।

ख) पुलिस ट्रेड की वरीयता सूची के अनुसार प्रोन्नति दिया जाएगा।

ग) ट्रेड संवर्ग के रिक्ति के विरुद्ध अपने ही संवर्ग में अगली प्रोन्नति दी जाएगी। जैसे पुलिस रसोईया को हवलदार रसोईया, पुलिस माली को हवलदार माली आदि।

घ) ट्रेड संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति सामान्य संवर्ग में नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपनी ही संवर्ग में रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति दी जाएगी।

(iii) प्रोन्नति में राज्य में प्रवृत्त आरक्षण उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(iv) संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि के अनुसार दिया जायेगा।

(v) हवलदार ट्रेड के पदों पर प्रोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय के स्तर पर सामान्य हवलदार में प्रोन्नति हेतु गठित बोर्ड / स्थापना पर्षद द्वारा ही किया जायेगा।

19. परिवीक्षा अवधि :- सीधी भर्ती / सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त ट्रेड पुलिस नियुक्ति की तिथि से 02 वर्ष तक परिवीक्ष्यमान रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि को विस्तारित की जा सकेगी। यदि वर्धित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं हो तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

20. सेवा सम्पुष्टि :- परिवीक्ष्यमान रूप से प्रोन्नत / नियुक्त (सीधी भर्ती / सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) ट्रेड पुलिस द्वारा परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं अन्य परीक्षा, जैसा की महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाय, में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा परिवीक्षा अवधि में आचार एवं सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

21. प्रशिक्षण:-

(i) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त ट्रेड पुलिस को पद के अनुरूप सामान्य आरक्षी की बुनियादी प्रशिक्षण के अनुसार किया जाएगा या जैसा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाय, प्राप्त किया जाना तथा इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त/प्रोन्नत ट्रेड पुलिस का प्रशिक्षण निम्नवत् होगा:-

- ट्रेड संवर्ग में न्यूनतम 03 (तीन) माह का प्रशिक्षण होगा।
- ट्रेड संवर्ग में अनुशासन बनाये रखने हेतु पुलिस डील का भी ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
- ट्रेड संवर्ग के प्रशिक्षण सामान्य पुलिस संवर्ग से अलग रहेगा।
- ट्रेड संवर्ग के परीक्षा ट्रेड कार्य से संबंधित ही होगा।

22. वरीयता सूची का निर्धारण:-

(i) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त ट्रेड कर्मियों की अपनी ही संवर्ग / ट्रेड के कर्मियों के साथ वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा प्रकाशित मेधासूची / प्राप्तांकों के अनुसार होगी। प्राप्तांकों के समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण की जाएगी तथा नियुक्ति की तिथि एवं जन्म तिथि एक ही रहने पर अभ्यर्थियों के उँचाई के आधार पर वरीयता निर्धारण की जाएगी। अनुकम्पा एवं अन्य माध्यम (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा सहित) से नियुक्त कर्मियों की वरीयता उस वर्ष के सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मियों के नीचे होगी, अर्थात् यदि एक ही वर्ष में सीधी भर्ती सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, अनुकम्पा एवं अन्य कारणों से नियुक्ति होती है, तो वरीयता का निर्धारण सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, अनुकम्पा एवं अन्य कारणों से नियुक्ति के क्रमानुसार होगा।

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त ट्रेड पुलिस की वरीयता सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के मेधासूची के अनुसार होगा।

- 23. प्रशासनिक नियंत्रण :-** सेवा/ संवर्ग में नियुक्त सभी कर्मी जिला / इकाई के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे संबंधित ट्रेड के पुलिस एवं हवलदार के नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला / इकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं वाहिनी के समादेष्टा होंगे।
- 24. स्थानान्तरण / पदस्थापन :-** इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से ट्रेड संवर्ग कर्मचारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापना जिला पुलिस बल हेतु गठित स्थापना पर्षद द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जा सकेगा।
- 25. अनुशासनिक कार्रवाई :-** सेवा / संवर्ग में नियुक्त तथा प्रोन्नत सभी कर्मियों के विरुद्ध सभी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई पुलिस हस्तक नियमावली में वर्णित प्रावधानों तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य प्रावधान / संकल्प/परिपत्र के प्रावधानों के तहत नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से की जाएगी।
- 26. परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी** यह सुनिश्चित कर लेंगे की वे विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा, नियुक्ति, परीवीक्षा एवं सेवाकाल के किसी भी क्रम पर जाँच करने पर यह पाया जाएगा की वे पात्रता के किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं अथवा इसकी सूचना जान बूझकर गलत दी गई है या कोई सूचना छिपायी गई है तो उनकी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
- 27. निर्वचन :-** इस नियमावली में जिन विषयों एवं या बातों का समावेश / प्रावधान नहीं हो सकता है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता / नियमावली/संकल्प/अनुदेश तथा पुलिस हस्तक नियम में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।
- 28. व्याख्या :-** इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या के लिए विभाग सक्षम होगा और उनकी व्याख्या अंतिम होगी।
- 29. निरसन :-** इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व में इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प / परिपत्र / अधिसूचना/अनुदेश तथा पुलिस हस्तक नियमावली के प्रासंगिक / संगत नियम इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरस्त समझे जाएंगे।
- 30. यूनिफॉर्म :-** झारखण्ड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग अंतर्गत पुलिस ट्रेड एवं हवलदार ट्रेड को राज्य के सिपाही / हवलदार के अनुरूप नियमानुसार वार्षिक वर्दी भत्ता मिलेगा। हर एक वर्ग को अलग अलग उनके ट्रेड के अनुसार यूनिफॉर्म महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

पुलिस विभागान्तर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी को कोटिवार स्वीकृत पद

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39	जंगल बारफेयर स्कून, नेतरहाट	22	10	10	18	5	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	81		
40	आई0टी0ए स0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
41	ए0सी0बी0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23
42	सी0आई0डी 0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	कुल योग	1388	895	221	563	290	21	44	29	87	25	13	12	2	1	1	17	14	2	3	11	2	1	3	3	3	2	2	10	3665		
